असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 जून, 2022

सप्तदश विधान सभा — सोमवार, तिथि 27 जून, 2022 ई0

षष्ठम सत्र — 06 आषाढ़, 1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोग कार्य स्थगन दिये हैं । हमलोगों को कार्य स्थगन पढ़ने दिया जाए । महोदय, कार्य स्थगन सुन लिया जाए ।

अध्यक्ष : अभी उसका समय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट इशू है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोग जो कार्य स्थगन दिये हैं...

अध्यक्ष : एक चीज बता दें ....

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, देश की सुरक्षा खतरे में है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब इसे...

श्री सत्यदेव राम : महोदय, देश ठेका पर चलेगा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इसके लिए समय निर्धारित है । समय पर उठायेगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है । पहले इस पर बहस होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : पोस्टर हटवा लीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । बैठ जाइये । बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है । श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वेल में नहीं आइये । अपनी जगह से....

(व्यवधान जारी)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

(व्यवधान जारी)

एक साथ इतने सारे लोग बोलेंगे । किसी की बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है और न प्रेस मीडिया में जायेगी । कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है । आप अपने स्थान पर जाकर बोलेंगे तभी आपकी बात सुनी जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट, अवध विहारी चौधरी जी बोलेंगे । आप लोग अपनी जगह पर बैठिये इनकी बात को सुनिये । आप लोग अपनी जगह पर बैठिये, अपने स्थान को ग्रहण करिये ।

(व्यवधान जारी)

आप इन लोगों को बैठाइये । आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये । समूह में बात कीजियेगा तो चर्चा में नहीं होगी....

(व्यवधान जारी)

सब लोग पहले बैठ जाइये । आपके विरोध का भाव आया, अब अपना स्थान ग्रहण कीजिये । अब अपने स्थान पर जाइये । एक अच्छे विधायक का, उत्कृष्ट विधायक का जो भाव है, अपने-अपने स्थान पर जाइये । विषय को हमलोग सुनेंगे, बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

बिहार को बेहतर बनाने में आप सबकी भूमिका है । अपने स्थान पर बैठ जाइये । आप एक बार बैठाइये । आसन को कंट्रोल में आने दीजिये, तब कहने का मौका मिलेगा । पहले सबको अपनी-अपनी जगह पर बैठाइये, तब कहने का मौका देंगे ।

(व्यवधान जारी)

चलिये, अपने स्थान पर जाइये । आपलोग अपने स्थान पर जायेंगे, तभी किन्हीं को कहने का मौका मिलेगा । जाइये ।

एक अच्छी बात सभी विधायकों के हित में हम कहने जा रहे हैं, सभी अपने स्थान पर जाइये । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है, आपके हित में एक बड़ी बात कहने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं । जाइये सब लोग अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

महबूब जी, समझाइये इनको । समझाइये, इनको । सभी दल के प्रमुख लोग थे, अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के....

अध्यक्ष : अब ऐसे मत कीजिये । अभी सबको बैठने दीजिये । सब शांति से बैठ जायें, आप भी बैठ जायें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी बैठ जाइये । महबूब जी, बैठ जाइये । ललित जी, दो मिनट के लिए बैठ जाइये । सभी सदस्यगण सुन लीजिये, पहले सकारात्मक बात की चर्चा हो और आपके हित की है । आपके हित में ही जनता....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य...

श्री सत्यदेव राम : देश का अहित हो रहा है । देश का अहित होगा तो मेरा हित कहां से होगा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुन लीजिये । देश के अहित और हित की भूमिका निभाने वाले माननीय विधायक जी बैठिये । महबूब जी, बैठ जाइये, आप तो बैठक में भी थे । माननीय सदस्यगण, हम सभी अपने-अपने क्षेत्र की भावनाओं के वाहक और जनसमर्थन प्राप्त प्रतिनिधि हैं ।

अतः अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और संभावनाओं से हमारा संबंध और सरोकार लाजमी है ।

(व्यवधान)

आप प्रह्लाद जी, सुनिये । आपका भी हित है, आपकी भी भावनाओं को...

(व्यवधान)

पुराने लोगों को धैर्य की बहुत जरूरत है । बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

राज्य और राज्य की जनता के सतत विकास में हमारी सक्रिय भागीदारी भी रहती है । राज्य प्रशासन की विकासात्मक इकाइयों जैसे कि प्रखण्ड और जिले में सभी माननीय विधायक जन विकास, जन सरोकार से निकट सम्पर्क में रह पायें, इसके लिए प्रखण्ड कार्यालय तथा समाहरणालय में माननीय विधायकों के लिए एक कक्ष कंर्णाकित किया जाना चाहिए ताकि सभी माननीय विधायक जनता से, जनता के सतत विकास से सीधे और सक्रिय रूप से जुड़ने में समर्थ हो सकें । इसके समर्थन में आप सभी हैं या नहीं ? एक बार सब लोग खड़े हो जाइये ।

(इस अवसर पर विभिन्न दलों के माननीय सदस्यगों ने खड़े होकर सहमति प्रदान की)

अब बैठ जाइये । चलिये, ये सकारात्मक विषय आया । अब सुन लीजिये, ललित यादव जी ।

(व्यवधान)

आपके नेता खड़े हैं, तो आप क्यों ऐसा करते हैं ?

हम एक चीज बता देते हैं कि दलीय नेता आपके दल के नेता हैं और माननीय विधायकों का कर्त्तव्य है कि दलीय नेता जब खड़े हों तो बैठ जायें और सुनें उनकी बात को ।

टर्न-2/अभिनीत/27.06.2022

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''आज दिनांक- 27.06.2022 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''आज दिनांक 27.06.2022 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं:-

1. सोमवार, दिनांक 27 जून, 2022 को विधायिकी कार्य निष्पादन के उपरांत राज्य में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र संबंधी विषय पर विमर्श हो ।

2. मंगलवार, दिनांक 28 जून, 2022 को अंतराल के बाद उत्कृष्ट विधान सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर विमर्श हो । शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जायं ।

ललित जी, कार्य स्थगन के समय इसे पढ़िएगा । अभी इसका समय नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सबका समय तय है, उस समय बोलिएगा तो ज्यादा उचित है ।

अध्यक्ष : समय इसका तय है । अभी बोलने से कोई फायदा होगा नहीं । यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अभी बैठ जाइये । ठीक है एक मिनट में खत्म कीजिए । सदन शांति से चलेगा तो सब विषय पर विमर्श करेंगे लेकिन पहले आप शांति से सुनिए । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय हुआ, बोलिए दो मिनट में ।

श्री अजीत शर्मा : XXX

XXX- आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

अध्यक्ष : यह विषय 12 बजे का है, अभी इसका समय नहीं है । समय पर रखिएगा न । माननीय सदस्य, मुरारी प्रसाद गौतम जी ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 01 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र सं0-207, चेनारी (अ0जा0))

(नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अरूण शंकर प्रसाद उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 02 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्ष 2021 के अंत में लंबित कांडों की संख्या-2,12,700 है । राज्य में वर्ष 2020 में कुल-2,57,506 कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जबकि 2,64,130 कांड निष्पादित किये गये हैं । इसी तरह वर्ष 2021 में प्रतिवेदित 2,82,067 कांडों की तुलना में 2,98,831 कांडों का निष्पादन किया गया है ।

वस्तुस्थिति यह है कि अनुसंधानकर्ता कांड के अनुसंधान के क्रम में चिकित्सक से संपर्क कर जख्म प्रतिवेदन प्राप्त करते हैं । लंबित जख्म प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु वरीय पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिये जाते हैं ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी जिलों में छापामारी हेतु विशेष दल ''वज्र'' का गठन कर छापामारी करायी जा रही है । कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी स्तरों के पदाधिकारियों के माध्यम से अनुश्रवण किया जाता है ।

जिन थानों में लंबित कांडों की संख्या ज्यादा है, उन थानों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाकर कांडो का निष्पादन कराया जाता है ।

वर्ष 2021 में लंबित कांडों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता स्तर के कुल 113 पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर दंडित किया गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, समय पर उठाइयेगा । अभी बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : कि 2021 के अंत तक 2,12,700 कांड लंबित हैं और 2020 एवं 2021 में क्रमशः इन्होंने बताया है कि 7 हजार एवं 16 हजार अधिक कांडों का निष्पादन हुआ है । इस आधार पर लंबित कांडों के निष्पादन में 15 से 18 वर्ष लग जायेंगे महोदय...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं पूरक ही बता रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी द्वारा जो डाटा दिया है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जिस गति से आप लंबित कांडों का निष्पादन कर रहे हैं उसमें 15 वर्ष से ज्यादा लगेंगे । त्वरित गति से कांडों का निष्पादन हो सके इसके लिए आप कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं ? दूसरा मेरा पूरक है कि त्वरित गति से कार्रवाई हो सके इसके लिए कौन-कौन सी कार्रवाई ये कर रहे हैं, चूंकि अभी जो कार्रवाई हो रही है उसमें लंबित कांडों के निष्पादन में 15 साल और लगेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय विधायक जी, इसे बच्चे भी देख रहे हैं । आपलोग अपने स्थान पर जायं । इसका समय तय है, उस समय हमलोग फिर बात करेंगे । आपलोग अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम प्रक्रियात्मक मुद्दे पर बात कहना चाहते हैं । कार्य-स्थगन सूचनाएं जो आती हैं उसको आसन या तो स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है । जो अस्वीकृत हो गया उसको पढ़ने का भी प्रावधान नहीं है और आपने इनको विशेष सुविधा दी कि आपने पढ़वा भी लिया । आपसे कार्य मंत्रणा की बैठक में क्या बात हुई थी, आखिर इस तरह से सदन को कोई अपनी मर्जी से कैसे चला सकते हैं । महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले सुनिए । मुकेश जी माननीय विधायक सुनिये ।

माननीय सदस्यगण, आज बक्सर जिला के विभिन्न स्कूल के बच्चे यहां सदन की कार्यवाही देखने आये हैं । उन्होंने अपने जिला में बहुत ही मनोयोग से बाल युवा संसद में भाग लिया है । आपसे आग्रह है कि इसका ख्याल रखें । यह उचित नहीं है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय हुआ है वह आपको सुनाया गया है, आप अपने स्थान को ग्रहण करें । कोई विषय आपके प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे, प्रेस मीडिया के पार्ट नहीं बनेंगे । आप अपने स्थान पर जायं तब सदन चलेगा । आपको जानकारी दे दें कि आज भी सरकार की सजगता के कारण शत-प्रतिशत प्रश्नों के जवाब आये हैं । अल्पसूचित, तारांकित के रात भर लोग मेहनत करके प्रश्नों के जवाब बनाते हैं, आप उन प्रश्नों के जवाब को जनहित में, बिहार की जनता के हित में सुनें ।

(व्यवधान जारी)

यह उचित नहीं है । यह कतई उचित नहीं है, एक सकारात्मक वातावरण बनाइये । आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाइये । आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, पहले आप बैठ जाइये । अपने स्थान पर जाकर बोलिए, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगी ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग चाहते हैं कि सदन नहीं चले ? कार्यस्थगन का 12 बजे दिन में समय तय है । आपलोगों को हमने मौका भी दिया, अब वह भी मैं स्थगित करता हूं, वह सब भी प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा । सदन को स्थगित करने के लिए आपलोग बाध्य मत कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, जो विषय राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है यह घोर निंदनीय है । यह एकदम गलत हो रहा है, एक गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है । सदन के इतने सारे विषय कार्यसूची में हैं उसके बावजूद भी केंद्र से जुड़े हुए विषय पर नारा लगाना और वेल में आकर प्रधानमंत्री के बारे में गलत टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठें । कोई भी बात, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इस सदन का विषय नहीं है उसकी यहां पर चर्चा नहीं होगी और न ही ऐसे विषय उठाने के यहां अवसर मिलेंगे ।

(व्यवधान जारी)

सदन आपलोग चलने नहीं दे रहे हैं, यह उचित परंपरा के कार्य निर्वहन में अवरोध पैदा कर रही है, उचित नहीं है । जो इस सदन का विषय नहीं है उसपर चर्चा क्यों करना चाहते हैं ? सदन के विषय में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो तय हुआ उस पर चर्चा करें ।

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–3/हेमन्त/27.06.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे । प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

(व्यवधान)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

(व्यवधान जारी)

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य अपने स्थान पर जायं और यह सख्त हिदायत देते हैं कि अगर टेबल को पलटने का या उसको उठाने का प्रयास करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में 5 संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जायं । जो विषय इस सदन का नहीं है, उस पर सदन के कार्य को बाधित करना उचित नहीं है और आपको बिहार की जनता भी देख रही है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, चीनी मिलों की मांग पर गन्ना उद्योग विभाग, वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विचारोपरान्त बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा-8 को संशोधित करने हेतु प्रस्तुत विधेयक की स्वीकृति अपेक्षित है । धारा-8 में संशोधन से चीनी मिलें यानी छोआ के विक्रेता और आसवनियां यानी छोआ के क्रेता आपसी सहमति से छोआ का मूल्य तय करेंगे और किये गये एकरारनामा के आधार पर छोआ आवंटित करने का अनुरोध छोआ नियंत्रक (आयुक्त उत्पाद) से करेंगे । इस खरीद-बिक्री में अनुमान्य कर का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा ।

अतः सदन से अनुरोध होगा कि प्रस्तुत विधेयक को पारित करने की कृपा की जाय । महोदय, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपका कोई भी विषय न प्रोसीडिंग में जायेगा न प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया में जायेगा और इस तरह के लाईव प्रसारण पर भी जब रोक लगाई जाती है, तो आप इनके इस विषय को रोक दिया करें ।

<u>सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श</u>

माननीय सदस्यगण, अब नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श होगा ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-43 के अंतर्गत श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से सामान्य लोकहित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:-

''यह सभा राज्य में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे ।''

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा ।

भारतीय जनता पार्टी	-38 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	-37 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	-22 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-10 मिनट
सी0पी0आई0एम0एल0	-06 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन	-03 मिनट
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा	-02 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-01 मिनट
सी0पी0आई0	-01 मिनट

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें । (क्रमशः)

टर्न–4/धिरेन्द्र/27.06.2022

(क्रमशः)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रस्ताव प्रतिपक्ष का ही है और प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्ताव क्यों देते हैं जब उस पर आप बहस नहीं कर सकते । क्यों ऐसा प्रस्ताव देते हैं ?

(व्यवधान)

सदन के समय का, ये बहुत कीमती समय आपलोग क्यों बर्बाद करते हैं ?

(व्यवधान जारी)

श्री समीर कुमार महासेठ जी का प्रस्ताव है । आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रस्ताव दे कर सदन में मौजूद रहते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना, ये जनता के विश्वास पर खरा उतरना है क्या ? बताइये ।

(व्यवधान जारी)

क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं आपलोग ?

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्य के द्वारा नियम–43 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया और महोदय, प्रस्ताव भी जो लाया गया है वह विपक्ष के माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी, जो आर0जे0डी0 के सदस्य हैं, उनके द्वारा लाया गया है । महोदय, सदन तो चाहता है और सरकार भी चाहती है, आसन भी चाहता है कि जिन विषयों पर अगर ये चर्चा कराना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नियम के हिसाब से लायेंगे तो उस पर सरकार भी जवाब देगी, सदन भी उस पर विचार करेगा लेकिन महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है, यह सिर्फ राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पूरे देश और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ सवाल है । आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति है वह जलवायु परिवर्तन की है । जिस विषय पर आपने सदन में चर्चा के लिए माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है और माननीय सदस्य बहस करना नहीं चाहते हैं, बहस में आना नहीं चाहते हैं, सदन तो बहस की जगह है । सदन में अपनी बात को

मजबूती से रखिये, सिर्फ नारा लगाने से और प्रेस तथा मीडिया में जाकर कुछ बोलने से राज्य का भला नहीं हो सकता है, राज्य की जनता का भला नहीं हो सकता है, भला तब होगा जब सदन में सार्थक चर्चा होगी और सदन में सार्थक चर्चा से इस राज्य की जनता का भला हो सकता है । माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह अपने स्थान पर जायं और इस बहस में हिस्सा लें, चर्चा करें और चर्चा के बाद बिहार की जनता के लिए जो कमिटेड आप और हम सब लोग हैं उसकी पूर्ति करें । मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपने आसन पर जरूर जायं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, गला को थोड़ा राहत दे दें ।

(व्यवधान जारी)

आप सुनिये, आपलोग पहले अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगी, जब तक आप अपने स्थान पर नहीं जायेंगे और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि नियम के तहत प्रस्ताव लाइयेगा, तभी बहस होगी। आपने अवसर खो दिया, 12 बजे आपको प्रस्ताव लाना था, आप नहीं लाये, इसलिए आपका कोई प्रस्ताव प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, अब सुनिये । अग्निपथ योजना भारत सरकार की है, इस पर विरोध आप कर सकते हैं लेकिन यह सदन विरोध का प्लेटफॉर्म नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पर किसी तरह की टीका-टिप्पणी की इजाजत नहीं दी जा सकती है, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है । आप सब लोग अपने आचरण और व्यवहार से एक सकारात्मक संदेश दें, यही बेहतर होगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, बक्सर जिला के बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप अपने आचरण और व्यवहार से क्या संदेश दे रहे हैं, उन बच्चों के माध्यम से पूरा बिहार देख रहा है ।

अराजकता उत्पन्न कर, समाज में तमाशा बना कर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभायी जा सकती है, आप अपने आसन पर जायं । नियम के तहत...

(व्यवधान जारी)

नहीं-नहीं । यह गलत है ।

(व्यवधान जारी)

श्री समीर कुमार महासेठ जी का जिस विषय पर प्रस्ताव आया है, उस पर बहस कीजिये । कितना अच्छा विषय है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र घट रही है । पूरी मानव जाति का यह विषय है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रही है । आप चाहते हैं सदन स्थगित कर दें ? आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, सदन स्थगित कराना चाहते हैं ? आपलोग क्या परम्परा शुरू किये हैं कि प्रस्ताव देते हैं, आपके विपक्ष का प्रस्ताव है और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं । यह क्या है ? प्रस्ताव तो आप ही का है, आप ही के श्री समीर कुमार महासेठ जी ने प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव के विरोध में आप सब लोग खड़े हैं, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

यह प्रस्ताव प्रतिपक्ष का है और प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर सदन नहीं चलने देना, यह दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है । यह संदेश पूरे बिहार की जनता के बीच जायेगा कि प्रस्ताव देकर सदन नहीं चलने देना, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है ।

(व्यवधान जारी)

सभी दलीय नेता हमारे कक्ष में आकर बैठेंगे । अब सदन की कार्यवाही 2.45 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है ।

टर्न–5/संगीता/27.06.2022

(स्थगन के उपरान्त)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्य बैठ जायें । श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करें।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करें...

(व्यवधान जारी)

आपलोगों का कोई भी विषय प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, न प्रेस मीडिया, न सोशल मीडिया में जायेगा, जो विषय है उसी विषय पर बात करें ।

(व्यवधान जारी)

क्या चाहते हैं ? सुन लीजिए, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य सदन चलाना नहीं चाहते हैं...

(व्यवधान जारी)

ये तरीका है ? प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और उस प्रस्ताव पर आप बहस करना नहीं चाहते हैं, ये कौन सा तरीका, कौन सा नियम है, नहीं, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

सदन की गरिमा कैसे बढ़े, जो प्रस्ताव आप लाये हैं उस पर बहस हो यह विषय है ।

(व्यवधान जारी)

कोई विषय नहीं जा रहा है, बैठ जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

जब तक लोग नहीं बैठेंगे, कोई विषय नहीं...

(व्यवधान जारी)

बैठें अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

पहले सदन का तो सम्मान करें तब देश की बात करें ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, सदन के सम्मान की और सुरक्षा की बात पहले हो तब हम देश और समाज की बात करेंगे न, बैठ जाइये अपने स्थान पर, जाइये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, सुन लीजिए, सुनिए...

(व्यवधान जारी)

सुन लीजिए, भाई वीरेंद्र जी...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव आपलोगों के माध्यम से आया और उस प्रस्ताव पर बहस करनी चाहिए लेकिन अपना प्रस्ताव देकर और हंगामा सदन में करना यह उचित नहीं है और आप वाद-विवाद में भाग नहीं लेना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो आज दिनांक 27 जून, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 17 है । अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 जून, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।